

भारत सरकार  
ग्रामीण विकास मंत्रालय  
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 1379  
(30 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

गरीबी उन्मूलन योजनाओं का कार्यान्वयन

1379. डॉ. मोहम्मद जावेद:

श्री सप्तगिरी शंकर उलाका:

एडवोकेट चन्द्र शेखर:

श्री सुखदेव भगत:

श्री हरीश चंद्र मीना:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत दस वर्षों के दौरान गरीबी उपशमन और विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत आबंटित, स्वीकृत, जारी की गई और उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार और जिला-वार, विशेषकर उत्तर प्रदेश राज्य का ब्यौरा क्या है;
- (ख) इनमें से प्रत्येक योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों (अजा) , अनुसूचित जनजातियों (अजजा) और अल्पसंख्यक समुदायों के लाभार्थियों की संख्या कितनी है;
- (ग) देश में गरीबी की गणना करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अपनाए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) उक्त योजनाओं के समुचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या सक्रिय कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री  
(श्री कमलेश पासवान)

(क): ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सहित ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के आर्थिक कल्याण में सुधार हेतु बहुआयामी कार्यनीति अपनाई है , जिसमें आजीविका के अवसरों को बढ़ाने , ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने, ग्रामीण युवाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने, बुनियादी ढांचे का विकास आदि पर इसके कार्यक्रमों के माध्यम से मुख्य ध्यान दिया गया है। इस संबंध में, भारत

सरकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना) , प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) , प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) , दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) , दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयूजीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी -पीएमकेएसवाई) के वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) जैसे कई लक्षित कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है।

इन योजनाओं के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां आवंटित की जाती हैं, जो बाद में संबंधित जिलों को जारी करते हैं। इसलिए , यह मंत्रालय जिलों को निधियां आवंटित नहीं करता है। पिछले दस वर्षों के दौरान विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, आवंटित, स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधियों का विवरण, जहां कहीं रखा जाता है, **अनुबंध** में दिया गया है।

**(ख):** विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अल्पसंख्यक समुदायों को भी , जहां भी लागू हो, लाभ मिल रहा है। इस संबंध में विवरण इस प्रकार है:

- i. पिछले दस वर्षों के दौरान मनरेगा योजना के अंतर्गत 1195.36 लाख अनुसूचित जाति और 942.9 लाख अनुसूचित जनजाति परिवारों को रोजगार मिला।
- ii. डीएवाई-एनआरएलएम के तहत , इस योजना की शुरुआत से लेकर जून , 2024 तक 1,97,45,021 अनुसूचित जाति , 1,22,32,174 अनुसूचित जनजाति परिवारों और 80,04,414 अल्पसंख्यक परिवार इस योजना के दायरे में लाए गए। इसी तरह , स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के गठन के संबंध में , 17,88,155 अनुसूचित जाति 11,20,624 अनुसूचित जनजाति और 6,88,057 अल्पसंख्यक एसएचजी को संगठित किया गया है।
- iii. पीएमएवाई-जी के तहत अनुसूचित जातियों के लिए कुल 68,57,929 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 59,09,128 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है और अनुसूचित जनजातियों के लिए 65,89,035 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से आरंभ से लेकर अब तक 57,27,937 आवासों का निर्माण पूरा किया जा चुका है।
- iv. पीएमजीएसवाई एक व्यक्ति/समुदाय केंद्रित योजना नहीं है। पीएमजीएसवाई के तहत बनाई गई सड़कें समाज के सभी वर्गों की जरूरतों को पूरा करती हैं। फिर भी , इस योजना में विशेष छूट देकर अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। शुरुआत से लेकर 24.07.2024 तक कुल 8,27,598 किलोमीटर सड़क लंबाई को मंजूरी दी गई है, जिसमें से 7,65,548 किलोमीटर सड़क लंबाई का निर्माण पूरा किया जा चुका है। हाल ही में, 100 लोगों तक की आबादी वाले विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों

(पीवीटीजी) के बस्तियों को सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए पीएमजीएसवाई के तहत एक अलग घटक शुरू किया गया है। 5 साल (2023-24 से 2027-28) की समयावधि में लक्ष्य लंबाई 8,000 किलोमीटर है। अब तक , प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के तहत 2,836.59 किलोमीटर सड़क पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं।

- v. डीडीयू-जीकेवाई के तहत , वित्तीय वर्ष 2018-19 से जून 2024 तक 345615 अनुसूचित जाति ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया गया और 224090 को नियुक्ति मिली ; 200175 अनुसूचित जनजाति ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया गया और 131166 को नियुक्ति मिली और 174708 अल्पसंख्यक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया और 101490 को नियुक्ति मिली। आरएसईटीआई के तहत , वित्तीय वर्ष 2014-15 से जून 2024 तक 953554 अनुसूचित जाति ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया गया और 695437 को नियोजित किया गया; 543333 अनुसूचित जनजाति ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया गया और 386948 को नियोजित किया गया और 464433 अल्पसंख्यकों को प्रशिक्षित किया गया और 336151 को नियोजित किया गया।
- vi. एनएसएपी के तहत 2021-22 से पहले अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए अलग से कोई आवंटन और निधि जारी नहीं किया गया था। 2021-22 से अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों की पहचान की गई और अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों के लिए अलग से निधि आवंटित किया गया। इसलिए , पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष से एनएसएपी योजनाओं के तहत एससी और एसटी लाभार्थियों की संख्या इस प्रकार है:-

वित्तीय वर्ष	अनुसूचित जाति के लाभार्थियों की संख्या	अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों की संख्या
2021-2022	5662755	2989377
2022-2023	5696683	3009052
2023-2024	5817385	3067788
2024-2025	5739620	3028678

- vii. डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई एक क्षेत्र विकास कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के तहत शुरू किए गए कार्यकलापों के माध्यम से अनुसूचित जाति (एससी) , अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अल्पसंख्यक समुदायों सहित परियोजना क्षेत्रों के सभी लोगों को लाभ मिलता है। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत, 2022-23 से 2023-24 तक, 1.05 लाख जल संचयन संरचनाओं का निर्माण/पुनरुद्धार किया गया है , 1.46 लाख हेक्टेयर भूमि को सुरक्षात्मक सिंचाई के तहत शामिल किया गया है, 0.85 लाख हेक्टेयर भूमि को वृक्षारोपण (वनीकरण/बागवानी) के तहत शामिल किया गया है, 7.06 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं और 127.31 लाख श्रम दिवस सृजित किए गए हैं।

**(ग):** 2020 में, नीति आयोग को बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) के लिए नोडल एजेंसी के रूप में निर्धारित किया गया, जो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के निष्पादन की निगरानी के लिए एक स्वदेशी सूचकांक बनाने के लिए जिम्मेदार है। नीति आयोग ने स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, ग्रामीण विकास, पेयजल, स्वच्छता, बिजली और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों सहित एक अंतर-मंत्रालयी एमपीआई समन्वय समिति (एमपीआईसीसी) का गठन किया। इसमें सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) और तकनीकी साझेदारों - संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (ओपीएचआई) के विशेषज्ञ भी शामिल थे। परिणामस्वरूप, भारत के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) विकसित किया गया था। बेसलाइन रिपोर्ट नवंबर 2021 में प्रकाशित हुई थी और राष्ट्रीय एमपीआई रिपोर्ट का दूसरा संस्करण जुलाई 2023 में जारी किया गया था।

‘राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक: एक प्रगति समीक्षा 2023’ रिपोर्ट के अनुसार, बहुआयामी गरीब व्यक्तियों का अनुपात 2015-16 और 2019-21 के बीच 24.85% से घटकर 14.96% हो गया, जिसके परिणामस्वरूप इस अवधि के दौरान 13.5 करोड़ व्यक्ति बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले।

**(घ):** ग्रामीण विकास मंत्रालय अपनी योजनाओं/परियोजनाओं के लक्षित कार्यान्वयन पर जोर देता है। निष्पादन को प्रभावित करने वाले कारकों का कार्यक्रम-वार विश्लेषण किया जाता है और उसके अनुसार कार्रवाई की जाती है। इस संबंध में कुछ प्रमुख कार्यनीतियाँ इस प्रकार हैं:-

- i. यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजनाएँ अपन लक्ष्य तक पहुँचें, मंत्रालय ने ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन की एक व्यापक बहु-स्तरीय और बहु-प्रारूप प्रणाली विकसित की है, जिसमें निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकें, जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति ("दिशा") बैठकें, राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ता (एनएलएम), क्षेत्र अधिकारी योजनाएँ, सामान्य समीक्षा मिशन, समवर्ती मूल्यांकन और प्रभाव आकलन अध्ययन शामिल हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की राज्य-विशिष्ट समीक्षाएँ भी समय-समय पर की जाती हैं और उनके निष्कर्षों के आधार पर कार्रवाई की जाती है।
- ii. ग्रामीण विकास की योजनाओं को एंड-टू-एंड ट्रांजैक्शन आधारित एमआईएस से जोड़ा गया है, जिससे सभी हितधारकों को वास्तविक समय के आधार पर योजनाओं की स्थिति की निगरानी करने में मदद मिलती है। जियो-टैग और टाइम स्टैम्प के साथ कार्यों की तस्वीरें ली जाती हैं। ग्रामीण विकास योजनाओं का सारा डेटा सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध है।

- iii. उपरोक्त के अतिरिक्त, मंत्रालय कार्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था करता है, वन अनापत्ति को सुगम बनाता है, जनशक्ति, तकनीकी सहायता आदि के लिए संबंधित मंत्रालयों/एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करता है।
- iv. महात्मा गांधी नरेगा और पीएमएवाई-जी जैसी कुछ योजनाओं की सामाजिक लेखापरीक्षा भी की जाती है। मनरेगा कार्यों से संबंधित किसी भी शिकायत को दूर करने के लिए लोकपाल भी नियुक्त किए जाते हैं। इसके अलावा , ग्रामीण विकास मंत्रालय की सभी योजनाओं में शिकायत निवारण पर उचित ध्यान दिया जा रहा है।
- v. राज्यों को कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की भर्ती करने की सलाह दी गई है। कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं। जनशक्ति की भर्ती और अन्य प्रशासनिक व्यय के लिए निधि उपलब्ध कराया जाता है। समय-समय पर कार्यक्रम जनशक्ति के प्रशिक्षण और अभिविन्यास की भी व्यवस्था की जाती है।
- vi. प्रशासनिक और तकनीकी निरीक्षण और लेखापरीक्षा के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं। निरीक्षण के लिए मोबाइल एप्लीकेशन यानी क्षेत्र अधिकारी ऐप विकसित किया गया है। इसी तरह के ऐप अन्य क्षेत्रों में भी विकसित किए गए हैं और आवश्यकताओं के आधार पर यह एक सतत प्रक्रिया है। अधिकारियों के निष्पादन की निगरानी इस ऐप के द्वारा की जाती है।
- vii. निधि जारी करने के प्रस्ताव और दस्तावेज तैयार करने के लिए राज्य सरकार के साथ नियमित समन्वय किया जाता है और इस संबंध में उन्हें समय -समय पर सलाह दी जाती है। विलंब के मामलों में, निधि जारी करने के लिए मामले को उच्च स्तर तक ले जाया जाता है।
- viii. योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन हेतु नीचे से मांग सृजित करने के लिए महिला नेटवर्क, समुदाय आधारित संगठनों और नागरिक समाज संगठनों को संगठित किया जाता है।

\*\*\*\*\*

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 30.07.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1379 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

गरीबी उन्मूलन योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत/जारी/उपयोग की गई निधियों का योजनावार और उत्तर प्रदेश सहित राज्यवार ब्यौरा, जहां भी लागू/कार्यान्वित किए गए हैं, निम्नानुसार हैं: -

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना)

(रुपये लाख में)

वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2023-24 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार जारी की गई केंद्रीय निधियां											
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	आंध्र प्रदेश	290314	307380	394021	512763	657111	720472.46	1030509.79	718267	798909	733263
2	अरुणाचल प्रदेश	2704.16	4395.1	15676	20679.7	19800.6	21020.01	34027.69	45374.4	57758	42610
3	असम	50023.5	87830.1	125460	112367	103097	168752.49	260233.46	222026	205235	222138
4	बिहार	95968.2	102412	166741	246888	281936	325093.78	728423.57	540737	639529	620003
5	छत्तीसगढ़	150570	106341	223194	289885	289476	264031.92	394347.98	389434	338355	288856
6	गोवा	137.95	246.82	425.85	56.05	48.83	216.76	356.91	3.81	511.53	87.66
7	गुजरात	35442.9	30598.7	64323.8	82505.1	102450	74758.23	147812.01	161524	169207	180162
8	हरियाणा	16715.3	12470.7	28771.3	30140.6	34829.1	33812.58	76355.62	72268	37398.6	47671.3
9	हिमाचल प्रदेश	35542.9	39610.3	38860.8	58684.5	75090.7	59748.12	94833.37	97575.1	115748	99712.8
10	जम्मू और कश्मीर	52171.1	55801.8	80408.5	125418	79334.1	118370.31	115231.99	95013.7	105061	92044
11	झारखंड	72433.4	97879.9	167914	135265	149990	127292.89	342408.42	306383	270864	291676
12	कर्नाटक	171687	99155.3	225865	295633	297813	546271.17	550099.46	602808	622528	541574
13	केरल	158758	152634	158249	185406	234049	352016.95	428677.68	355193	381843	351348
14	मध्य प्रदेश	245163	236732	344892	376890	452910	471894.15	908672.51	847909	570213	587114
15	महाराष्ट्र	79951.8	123835	165709	185829	194892	167066.42	160025.7	205646	254973	303444
16	मणिपुर	21997.1	25532.3	34370.4	15778.9	28698.7	61074.66	130673.85	56310.7	108663	0
17	मेघालय	27785.9	22182.6	86069.2	87060.4	78903.4	102443.59	128416.59	112166	111692	91232.8
18	मिजोरम	11141.2	28517.4	14451.3	20081	39783.6	52507.57	59045.38	54891.6	53871.9	50605.5
19	नागालैंड	11305.3	26666	50152.8	110493	19323	33044.7	48382.14	56945.5	89744.9	63795.9
20	ओडिशा	103530	147941	189527	219835	216328	243278.38	521529.26	568015	463836	489189
21	पंजाब	18948.2	24533.4	49073.5	61895.9	57826.5	74886.26	123913.55	125759	118213	116655
22	राजस्थान	297610	269583	481817	472828	524471	726747.87	892076.25	986775	966299	867162
23	सिक्किम	7386.41	8623.44	13262.6	10571.2	9586.17	8269.34	11016.55	11242	9255.39	11195.4
24	तमिलनाडु	378180	547037	455278	583166	488286	555969.31	878881.54	963813	970662	1260336
25	तेलंगाना	191996	182485	180685	253920	295817	222132.13	411121.1	410520	298868	350859

26	त्रिपुरा	63662.5	135894	101629	40440.5	43543.5	73113.77	119498.53	98888.3	92203.5	104359
<b>27</b>	<b>उत्तर प्रदेश</b>	<b>251341</b>	<b>269569</b>	<b>391585</b>	<b>369178</b>	<b>530495</b>	<b>601701.9</b>	<b>1201410.42</b>	<b>850957</b>	<b>1062901</b>	<b>980855</b>
28	उत्तराखंड	28636.2	45076.7	51435.1	71685.1	59004.6	45580.3	88626.63	64203.2	79284.4	55165.8
29	पश्चिम बंगाल	374495	471174	537723	592703	718526	850761.08	1145405.21	750780	0	0
30	अण्डमान और निकोबार	1301.94	1035.72	801.4	966.07	761.93	583.78	485.89	763.16	960.42	0
<b>31</b>	<b>लक्षद्वीप</b>	<b>45.06</b>	<b>11.85</b>	<b>0</b>	<b>26.71</b>	<b>15.97</b>	<b>23.82</b>	<b>0</b>	<b>30.05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	पुदुचेरी	739.69	1292.57	346.92	1569.03	1461.29	1691.87	2683.69	1307.28	2494.55	5877.23
33	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	2248.57	5904.39	6893.31	6264.09
34	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	484	0	0	0	161.87	221.13
	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>कुल</b>	<b>3247687</b>	<b>3664480</b>	<b>4838716</b>	<b>5570607</b>	<b>6086143</b>	<b>7104628.56</b>	<b>11037431.3</b>	<b>9779433</b>	<b>9004139</b>	<b>8855476</b>

## 11. प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)

(करोड़ रुपये में)

वित्त वर्ष 2016-17 से 2023-24 तक प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत जारी केंद्रीय अंश और किए गए व्यय														
क्र.सं.	राज्य	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		केंद्रीय रिजर्व
		केंद्रीय रिजर्व	व्यय	केंद्रीय रिजर्व	व्यय	केंद्रीय रिजर्व	व्यय	केंद्रीय रिजर्व	व्यय	केंद्रीय रिजर्व	व्यय	केंद्रीय रिजर्व	व्यय	
1	अरुणाचल प्रदेश	54.12	0	12.11	0	0.00	0	0.00	0.40	0.00	5.97	104.85	16.70	
2	असम	1321.98	113.82215	1669.62	1458.4518	244.08	244.084	1433.97	2046.75	1503.43	1269.44	5771.11	2195.33	91
3	बिहार	2114.27	2.9125	602.57	3242.9805	4449.32	4449.31907	4902.97	8265.94	6683.93	10004.40	3082.22	5954.44	74
4	छत्तीसगढ़	838.16	682.234	2625.07	4156.4602	2636.95	2636.95439	562.55	989.82	307.12	983.99	0.00	31.32	3
5	गोवा	2.85	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.80	0.00	0.53	0.00	0.37	
6	गुजरात	365.27	2.3	532.64	1204.225	682.20	682.19855	385.56	798.10	192.78	495.64	687.29	893.09	9
7	हरियाणा	74.14	16.7805	21.54	148.7427	28.40	28.3956	34.55	63.35	0.00	13.27	0.00	17.26	
8	हिमाचल प्रदेश	32.54	14.053	50.88	38.8713	14.69	14.6894	0.00	11.10	10.62	23.40	32.97	44.04	
9	जम्मू और कश्मीर	80.33	0	49.82	94.765	226.83	226.83112	67.69	221.42	795.86	599.35	123.43	419.37	10
10	झारखंड	796.30	274.1434	1626.30	3088.92385	1733.52	1733.52475	2442.76	3396.56	3348.51	3750.22	1207.91	4237.82	12
11	केरल	100.49	49.2744	21.41	102.6936	0.00	0	0.00	11.80	0.00	25.05	0.00	66.87	
12	मध्य प्रदेश	1701.15	1358.166	4876.27	7874.188	4250.43	4250.4266	2291.98	4176.03	4565.80	4068.96	4509.58	8046.72	63
13	महाराष्ट्र	735.66	356.246	1102.08	1970.1375	1135.53	1135.52925	1815.33	1924.76	1310.10	2433.50	1249.80	2003.81	16
14	मणिपुर	57.67	0	58.55	65.9128	4.30	4.29975	10.30	12.83	84.89	93.49	21.01	26.86	1
15	मेघालय	80.78	0	42.74	102.453	126.21	126.21226	22.60	57.97	191.08	185.54	90.13	72.51	1
16	मिजोरम	24.83	0	6.44	23.2596	29.24	29.2383	0.00	31.80	16.16	13.82	41.92	5.83	
17	नागालैंड	46.76	0	8.33	0.169	0.00	0	0.00	15.25	17.40	2.12	17.41	20.44	

18	ओडिशा	1494.53	477.599	3124.06	5810.3155	3290.32	3290.32427	2197.33	5460.06	2821.87	4556.46	1011.87	1122.73	17
19	पंजाब	75.59	0	16.02	30.6636	0.00	0	0.00	36.01	49.22	59.10	18.31	60.73	
20	राजस्थान	871.53	345.852	1895.66	4179.1548	2340.13	2340.1332	2933.34	2923.07	1108.59	3679.45	1405.46	2332.48	21
21	सिक्किम	11.91	0	0.00	9.261	0.00	0	0.65	0.37	0.00	0.28	0.57	0.06	
22	तमिलनाडु	690.60	0.020823	848.49	939.078336	502.80	502.7981	487.52	996.93	78.62	672.61	928.93	668.86	20
23	त्रिपुरा	134.55	5.868506	183.16	230.833418	7.66	7.6598	229.52	210.50	113.62	98.30	1368.48	1111.18	12
<b>24</b>	<b>उत्तर प्रदेश</b>	<b>2239.80</b>	<b>94.1776</b>	<b>4948.06</b>	<b>10183.2604</b>	<b>2775.86</b>	<b>2775.85808</b>	<b>1145.64</b>	<b>2207.35</b>	<b>4830.90</b>	<b>5990.29</b>	<b>3727.00</b>	<b>7869.83</b>	<b>47</b>
25	उत्तराखंड	74.84	25.932	13.81	70.499	95.98	95.983	0.00	5.71	0.00	1.31	149.18	138.33	1
26	पश्चिम बंगाल	1393.64	824.9262	4556.66	7867.8804	4372.85	4372.8479	5976.00	8854.36	8810.54	10037.26	687.84	5423.18	
27	अण्डमान और निकोबार	1.96	0	0.33	0	0.00	0	0.00	1.12	16.88	8.53	0.00	1.87	
28	दादरा नगर हवेली तथा दमन एवं द्वीप	3.33	0.00	3.40	0.66	9.47	9.47	55.98	23.33	0.00	33.46	0.00	21.85	
29	लक्षद्वीप	0.00	0	0.71	0	0.00	0	0.00	0.35	0.00	0.01	0.00	0.00	
30	आंध्र प्रदेश	217.13	0	351.93	264.465902	186.05	186.0543	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	कर्नाटक	278.64	4.86434	593.05	304.779161	188.22	188.2248	309.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2
32	तेलंगाना*	142.63	0	48.16	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33	लद्दाख	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>कुल</b>	<b>16058.00</b>	<b>4649.172419</b>	<b>29889.86</b>	<b>53463.08137</b>	<b>29331.06</b>	<b>29331.05619</b>	<b>27305.84</b>	<b>42743.89</b>	<b>36857.93</b>	<b>49105.75</b>	<b>26237.24</b>	<b>42803.87</b>	<b>4113</b>

\*नोट: पुदुचेरी और तेलंगाना पीएमएवाई-जी का कार्यान्वयन नहीं कर रहे हैं। हालाँकि, तेलंगाना को पिछले वर्षों 2016-17 और 2017-18 में केंद्रीय निधि जारी की गई थी और राज्य द्वारा पीएमएवाई-जी को लागू न करने का निर्णय लेने के बाद, उक्त राशि भारत की समेकित निधि (सीएफआई) में स्थानांतरित कर दी गई थी।

III. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

(करोड़ रुपए में)

पीएमजीएसवाई के तहत पिछले 10 वर्षों के दौरान 24.07.2024 तक जारी निधि का राज्यवार विवरण											
क्र.सं.	राज्य का नाम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	अंडमान और निकोबार	0	0	0	5	0	0	0	9.22	12.22	12.22
2	आंध्र प्रदेश	32.98	379.2	197.59	226.16	243.88	476.27	53.2	50	644.13	140.64
3	अरुणाचल प्रदेश	345.92	375	205.92	700	1350	1123	952.31	1090.6	1018.74	339.9
4	असम	316.07	347.82	475.76	575.58	2542.76	2401.88	2516.62	1591.5	664.91	391.29
5	बिहार	1548.16	2781	2958.34	1592.26	140	286.7	49.13	375	1443.23	963.37
6	छत्तीसगढ़	270.75	498	449.81	508.66	664.39	1614.6	924.48	394.41	995.87	401.77
7	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	गुजरात	418.77	474.1	31.04	0	0	0	79.08	195.5	266.63	298.41
9	हरियाणा	218.96	304.7	44.01	0	13.2	16.03	0	353.23	168.25	74.01
10	हिमाचल प्रदेश	99.4	268.4	396.61	399.56	703.37	1284.89	745.24	517.45	624.76	617.56
11	जम्मू और कश्मीर	416.6	488	755.61	1400	590.77	695.5	1727.3	1328.34	717	1304.17
12	झारखंड	249.48	865	819.59	1381.7	757.32	214.41	293.5	0	332.63	752.8
13	कर्नाटक	237	140.8	331.95	5	47.19	534.24	49.29	704.25	720.47	72.25
14	केरल	151.41	151	179.45	169.13	105.88	48.64	89.97	0	106.76	54.25
15	मध्य प्रदेश	708	1122	1979.48	1308.45	1057.49	1308.97	1099.54	1392.25	1557.47	599.42
16	महाराष्ट्र	212.53	553.3	606	330.63	6.75	150	0	0	743	1110.8
17	मणिपुर	100	299.8	412.19	231.5	293.63	263.85	420.66	742	744.98	161.29
18	मेघालय	62.56	150.7	211.99	50.04	196.42	357	355.29	483.92	405.89	122.59
19	मिजोरम	54.74	50.9	93.36	200	51.32	576.06	1.59	74.34	584.2	141.37
20	नागालैंड	58.99	4	8.05	8.8	149.63	88.89	72.89	145.31	183.15	161.29
21	ओडिशा	1051.5	1382.7	1925.67	2249.99	2535.18	798.11	774.29	404.12	1235.88	1262.55
22	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	11.66	24.72	0.27
23	पंजाब	310.21	221.1	275.66	339.15	0	0	0	68.59	231.06	265.1
24	राजस्थान	425.66	559.9	559.41	1120.26	150.05	184.74	237.15	917.51	199.9	404.79
25	सिक्किम	94.59	68.6	138.16	337	199.4	4.39	195.5	107.28	263.33	94.37
26	तमिलनाडु	239.65	205	309.58	636.39	619.14	308.46	265.38	440	613.7	411.36
27	त्रिपुरा	187.36	274.83	392.27	135.38	73.31	10.64	69.57	73.88	267.59	185.03
28	तेलंगाना	0.88	273.73	146.03	242.87	112.77	267.38	0	86.38	321.43	296.9625
29	उत्तर प्रदेश	638.7	1110.35	1234.87	910.3	370.17	78.07	123.9	1418.55	2068.57	2679.63
30	उत्तराखंड	314.92	409.2	550.2	702.21	988.23	554.9	1536.27	787	1297.16	551.05
31	पश्चिम बंगाल	1193.8	1427.58	819.18	1058.35	1426.98	348.25	969.31	49.94	381.03	99.275
32	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	50	140.79	109.97	37.5
	<b>कुल</b>	<b>9959.58</b>	<b>15186.71</b>	<b>16507.78</b>	<b>16824.37</b>	<b>15389.23</b>	<b>13995.87</b>	<b>13651.46</b>	<b>13952.99</b>	<b>18948.61</b>	<b>14007.29</b>



IV. दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम)

वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत केंद्रीय आवंटन रिलीज और व्यय का विवरण

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम/संघ राज्य क्षेत्र	2014-15			2015-16		
		कुल केंद्रीय आवंटन	केंद्रीय रिलीज (एनआरएलएम)	व्यय	कुल केंद्रीय आवंटन	केंद्रीय रिलीज (एनआरएलएम)	व्यय
1	आंध्र प्रदेश	20301.00	8157.36	4069.20	2680.53	3289.45	2353.52
2	बिहार	10142.00	0.00	58730.92	5690.71	1241.90	43203.27
3	छत्तीसगढ़	2208.00	0.00	5441.06	1265.58	0.00	8013.42
4	गोवा				153.75	75.00	0.00
4	गुजरात	1652.00	0.00	3075.85	916.37	0.00	3156.09
5	हरियाणा	1009.00	0.00	1732.78	546.41	693.66	1194.64
6	हिमाचल प्रदेश	466.00	0.00	455.60	231.68	97.38	527.86
7	जम्मू एवं कश्मीर	4871.00	3750.00	4560.81	2031.38	4267.54	4523.41
8	झारखंड	3692.00	0.00	11620.64	2143.55	0.00	19612.87
9	कर्नाटक	5606.00	601.35	3775.01	2191.83	1471.30	9653.59
10	केरल	2396.00	677.17	3447.86	977.90	1005.64	2987.43
11	मध्य प्रदेश	4719.00	0.00	17216.17	2709.81	0.00	18132.11
12	महाराष्ट्र	6732.00	0.00	15776.32	3651.46	4101.48	15887.97
13	ओडिशा	5730.00	0.00	7738.92	2854.41	937.02	10725.66
14	पंजाब	484.00	0.00	677.21	262.72	122.37	980.73
15	राजस्थान	2754.00	0.00	1205.13	1417.07	0.00	4937.92
16	तमिलनाडु	7329.00	826.00	20508.87	2602.08	2050.22	12677.06
17	तेलंगाना	-	6585.44	229.61	1915.71	1480.54	3126.11
<b>18</b>	<b>उत्तर प्रदेश</b>	<b>14223.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5658.06</b>	<b>8261.14</b>	<b>3575.83</b>	<b>10852.46</b>
19	उत्तराखंड	772.00	0.00	450.32	434.61	0.00	603.26
20	पश्चिम बंगाल	7028.00	2016.68	8847.28	3221.30	3880.16	15119.93
21	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	-	-	-	-
22	दमन और दीव	-	-	-	-	-	-
23	दादरा तथा नगर हवेली	-	-	-	-	-	-
24	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-
25	लद्दाख	-	-	-	-	-	-
25	पुदुचेरी	350.00	135.34	0.00	475.00	150.00	0.00
26	अरुणाचल प्रदेश	226.00	0.00	0.00	161.82	0.00	68.51
27	असम	7103.00	0.00	7997.20	4588.89	0.00	9404.06
28	मणिपुर	467.00	0.00	206.74	285.71	0.00	142.64
29	मेघालय	467.00	0.00	22.11	319.00	0.00	561.89
30	मिजोरम	207.00	64.00	239.76	74.75	329.50	97.93
<b>31</b>	<b>नागालैंड</b>	<b>318.00</b>	<b>185.00</b>	<b>968.35</b>	<b>221.66</b>	<b>545.22</b>	<b>658.46</b>
32	सिक्किम	146.00	0.00	0.00	82.43	72.00	143.07
33	त्रिपुरा	866.00	0.00	414.70	535.74	226.44	746.73

	<b>कुल योग</b>	<b>112264.00</b>	<b>22998.34</b>	<b>185066.48</b>	<b>52905.00</b>	<b>29612.65</b>	<b>200092.60</b>
--	----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	------------------

नोट: कुल उपलब्ध निधि की तुलना में व्यय जिसमें राज्य का अंश, प्रारंभिक शेष और विविध प्राप्तियां भी शामिल हैं।

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17			2017-18			2018-19		
		कुल केंद्रीय आवंटन	केंद्रीय रिलीज (एनआरएलएम)	व्यय	कुल केंद्रीय आवंटन	केंद्रीय रिलीज (एनआरएलएम)	व्यय	कुल केंद्रीय आवंटन	केंद्रीय रिलीज (एनआरएलएम)	व्यय
1	आंध्र प्रदेश	1185.81	1778.73	8188.04	6214.57	9321.86	15003.57	8638.93	11922.19	19562.52
2	बिहार	4835.89	4835.89	31477.64	25343.75	25343.75	60294.84	35230.54	35230.54	60615.60
3	छत्तीसगढ़	1074.08	537.04	11841.41	5629.01	8443.52	20502.76	7824.92	10317.47	14919.80
4	गोवा	150.00	75.00	0.00	300.00	150.00	0.00	300.00	150.00	0.00
4	गुजरात	765.19	382.60	3659.58	4010.20	3800.78	6118.05	5574.60	2787.30	7688.78
5	हरियाणा	450.18	450.18	157.05	2359.27	2282.54	3526.99	3279.64	3181.56	1997.12
6	हिमाचल प्रदेश	189.59	94.80	329.86	993.58	748.78	590.92	1381.18	690.59	1058.93
7	जम्मू और कश्मीर	2500.00	2368.00	5084.30	1227.80	6590.53	7165.13	1709.40	5854.70	7873.31
8	झारखंड	1823.41	911.71	14117.69	9556.09	8907.35	20366.20	13283.99	12512.08	22200.86
9	कर्नाटक	1535.07	940.06	1144.50	8044.95	4022.48	5393.14	11183.34	10297.26	4965.86
10	केरल	688.78	511.88	3885.66	3609.74	5004.07	5463.76	5017.93	6925.01	11000.51
11	मध्य प्रदेश	2300.98	3097.82	27068.35	12058.92	10596.52	22451.62	16763.19	8381.60	31968.82
12	महाराष्ट्र	3034.46	3034.46	18821.45	15902.89	15093.06	30305.32	22106.73	29977.34	41804.17
13	ओडिशा	2325.13	2325.14	16196.22	12185.48	12001.65	31037.89	16939.12	20244.16	34231.20
14	पंजाब	218.78	143.57	654.24	1146.58	573.29	308.93	1593.87	1380.61	1270.68
15	राजस्थान	1165.63	1165.64	8886.86	6108.79	9110.24	16127.98	8491.88	8442.36	13008.44
16	तमिलनाडु	1797.46	1797.46	12047.36	9420.09	13907.84	17951.46	13094.93	17444.53	32340.38
17	तेलंगाना	847.01	423.51	797.77	4438.98	3456.04	4982.21	6170.66	3085.33	4632.01
18	उत्तर प्रदेश	6962.06	5163.55	22852.20	36486.54	27362.74	37256.39	50720.22	39151.80	60168.39
19	उत्तराखंड	366.56	366.56	1253.56	1921.04	1921.04	2964.16	2670.45	3853.52	3364.80
20	पश्चिम बंगाल	2583.93	3490.93	20428.24	13541.73	20164.33	36009.06	18824.48	20978.27	34498.93
21	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	25.00	25.00	0.00	100.00	99.70	0.00	100.00	150.00	0.00
22	दमन और दीव	25.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	100.00	0.00	0.00
23	दादरा एवं नगर हवेली	25.00	12.50	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00
24	लक्षद्वीप	25.00	12.50	0.00	100.00	50.00	0.00	100.00	50.00	0.00
25	लद्दाख									
25	पुदुचेरी	250.00	250.00	0.00	400.00	327.80	0.00	400.00	306.70	0.00

26	अरुणाचल प्रदेश	600.00	576.51	528.66	920.00	1496.33	472.25	3177.00	2575.02	2239.01
27	असम	7000.00	5884.57	11841.41	9885.00	9595.10	16089.46	17694.00	19618.00	19533.94
28	मणिपुर	800.00	782.18	280.42	920.00	834.93	779.64	3091.94	1545.97	200.00
29	मेघालय	400.00	400.00	544.70	1380.00	3502.80	1338.83	4944.00	4944.00	1919.68
30	मिजोरम	1600.00	1600.00	983.59	1840.00	2991.78	1619.91	5442.38	4203.89	131.00
31	नागालैंड	2400.00	2400.00	1204.94	2760.00	1380.00	2061.86	7295.57	5475.17	2273.29
32	सिक्किम	600.00	564.66	489.72	690.00	619.36	584.54	2134.00	1067.00	732.16
33	त्रिपुरा	2700.00	2373.53	1651.93	3105.00	3677.15	4075.84	8958.00	8575.63	4831.52
	<b>कुल योग</b>	<b>53250.00</b>	<b>48775.97</b>	<b>226417.36</b>	<b>202800.00</b>	<b>213427.36</b>	<b>370842.71</b>	<b>304336.89</b>	<b>301369.60</b>	<b>441031.72</b>

नोट: कुल उपलब्ध निधि की तुलना में व्यय जिसमें राज्य का अंश, प्रारंभिक शेष और विविध प्राप्तियां भी शामिल हैं।

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20			2020-21			2021-22		
		कुल केंद्रीय आवंटन	केंद्रीय रिलीज (एनआरएलएम)	व्यय	कुल केंद्रीय आवंटन	केंद्रीय रिलीज (एनआरएलएम)	व्यय	कुल केंद्रीय आवंटन	केंद्रीय रिलीज (एनआरएलएम)	व्यय
1	आंध्र प्रदेश	11924.13	16652.51	7024.24	13447.79	20171.69	42524.05	25166.83	12583.42	14466.77
2	बिहार	48627.99	48627.97	63026.63	54841.65	80863.18	96283.46	102633.22	102633.22	149645.40
3	छत्तीसगढ़	10800.58	10763.97	20199.77	12180.67	12180.67	17188.20	22795.48	22795.48	29859.32
4	गोवा	400.00	200.00	213.49	400.00	400.00	578.96	700.00	350.00	701.56
4	गुजरात	7694.51	7694.51	9599.35	8677.71	12795.16	15395.26	16239.87	12068.42	19286.04
5	हरियाणा	4526.82	3997.97	6337.86	5105.26	5105.26	5960.05	9554.21	2388.55	6486.62
6	हिमाचल प्रदेश	1906.41	1454.79	1186.94	2150.01	1612.51	1743.49	4023.63	4023.63	4321.15
7	जम्मू और कश्मीर	2359.46	2299.09	3276.18	2660.95	11527.18	6763.38	14668.93	11001.70	13796.98
8	झारखंड	18335.62	24828.75	27427.76	20678.53	25808.53	45215.93	38698.78	38698.78	54239.51
9	कर्नाटक	15436.13	9571.50	18889.23	17408.55	25664.59	30429.00	32579.18	24434.39	39674.95
10	केरल	6926.15	3463.08	5562.97	7811.16	7811.16	13158.00	14618.18	7309.10	13847.78
11	मध्य प्रदेश	23237.89	23237.89	26450.73	26094.44	19570.83	37000.00	48834.35	24417.18	38487.24
12	महाराष्ट्र	30513.46	30513.46	47101.45	34412.45	17206.23	27841.00	51618.68	25809.34	27148.18
13	ओडिशा	23380.72	30686.99	48916.06	26368.30	38907.04	63825.20	49346.87	61683.59	81142.19
14	पंजाब	2199.98	1099.99	2676.01	2481.10	1860.83	3361.22	4643.24	2321.62	3087.16
15	राजस्थान	11721.17	8587.33	15273.02	13218.89	13218.89	22848.37	24738.45	24738.45	32656.16
16	तमिलनाडु	18074.67	23260.01	27190.73	20384.24	28924.96	50309.00	38148.01	38148.01	54402.54
17	तेलंगाना	8517.24	6525.19	8693.71	9605.57	9605.57	9449.99	17976.30	4494.08	11537.78
18	<b>उत्तर प्रदेश</b>	<b>70008.07</b>	<b>51115.11</b>	<b>91742.22</b>	<b>78953.66</b>	<b>78856.92</b>	<b>135248.63</b>	<b>147757.57</b>	<b>147566.36</b>	<b>210533.83</b>
19	उत्तराखंड	3685.97	4643.32	5354.48	4156.96	4618.84	5348.24	7779.53	7620.73	6312.58
20	पश्चिम बंगाल	25983.03	31911.65	45090.87	29303.11	29303.11	42512.28	54839.23	41129.43	55950.62
21	अंडमान	200.00	200.00	104.02	300.00	300.00	244.24	600.00	450.00	357.91

	और निकोबार द्वीप समूह									
22	दमन और दीव	200.00	100.00	10.75	400.00	200.00	56.10	400.00	100.00	222.58
23	दादरा एवं नगर हवेली	200.00	0.00	9.35	200.00	0.00	0.00			
24	लक्षद्वीप	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	28.52	200.00	100.00	65.58
25	लद्दाख					200.00	0.00	1320.00	330.00	226.04
25	पुदुचेरी	600.00	558.13	451.94	700.00	700.00	787.77	1000.00	500.00	510.32
26	अरुणाचल प्रदेश	5597.11	5181.12	3231.99	7601.95	5218.39	4829.50	8289.42	4144.71	5784.61
27	असम	20781.78	24015.56	24566.82	21687.67	26004.66	26634.03	34298.66	34298.66	28967.68
28	मणिपुर	5447.25	2723.63	1418.98	5609.34	2804.67	2748.27	10273.53	2568.38	3578.18
29	मेघालय	8710.17	6295.40	7346.76	11729.19	11729.20	9255.17	14375.43	7187.72	10611.85
30	मिजोरम	9588.20	7343.47	5095.00	10004.73	5002.37	2241.42	10540.55	2635.14	6498.25
31	नागालैंड	12853.08	9736.11	6862.53	13544.04	6772.02	5877.84	17118.28	4279.57	8390.67
32	सिक्किम	2948.06	1092.34	736.61	3922.88	980.72	1320.94	4431.85	1079.84	1493.03
33	त्रिपुरा	15705.14	10434.88	6531.48	16405.20	16405.20	13443.23	17364.21	8682.11	19200.00
	<b>कुल योग</b>	<b>429290.79</b>	<b>408815.72</b>	<b>537599.93</b>	<b>482646.00</b>	<b>522330.38</b>	<b>740450.74</b>	<b>847572.47</b>	<b>682571.60</b>	<b>953491.06</b>

नोट: कुल उपलब्ध निधि की तुलना में व्यय जिसमें राज्य का अंश, प्रारंभिक शेष और विविध प्राप्तियां भी शामिल हैं।

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम/संघ राज्य क्षेत्र	2022-23			2023-24		
		कुल केंद्रीय आवंटन	केंद्रीय रिलीज (एनआरएलएम)	व्यय	कुल केन्द्रीय आवंटन	केंद्रीय रिलीज (एनआरएलएम)	व्यय
1	आंध्र प्रदेश	25172.97	18879.74	46752.94	25172.97	6294.25	17299.87
2	बिहार	102658.29	128322.86	216672.22	102658.29	141155.14	202840.62
3	छत्तीसगढ़	22801.05	17100.79	29537.68	22801.05	29580.59	38657.10
4	गोवा	750.00	750.00	1272.25	750.00	750.00	1292.90
4	गुजरात	16243.84	12182.88	19676.31	16243.84	16243.84	25025.01
5	हरियाणा	9556.55	4778.28	6744.10	9556.55	4778.28	5686.60
6	हिमाचल प्रदेश	4024.62	4024.62	4570.11	4024.62	5533.85	5658.07
7	जम्मू और कश्मीर	18016.86	12783.94	14194.44	18000.00	18000.00	17099.80
8	झारखंड	38708.23	38708.23	69337.58	38708.23	38708.23	66749.44
9	कर्नाटक	32587.14	24440.36	44479.20	32587.14	32587.14	55672.73
10	केरल	14621.75	10966.32	14814.09	14621.75	10966.32	22239.64
11	मध्य प्रदेश	48846.28	48846.28	58576.17	48846.28	24423.14	61358.23
12	महाराष्ट्र	64401.08	48300.81	76324.15	64416.79	88573.08	129407.77
13	ओडिशा	49358.92	61698.65	100644.03	49358.92	67868.51	88866.73
14	पंजाब	4644.38	3483.28	5635.37	4644.38	4254.00	6622.85
15	राजस्थान	24744.50	34023.68	50095.09	24744.50	24744.50	54343.72
16	तमिलनाडु	38157.33	38157.33	83462.14	38157.33	28618.00	50961.00
17	तेलंगाना	17980.69	4495.18	8170.54	17980.69	0.00	7713.90
18	<b>उत्तर प्रदेश</b>	<b>147793.66</b>	<b>110845.25</b>	<b>182920.53</b>	<b>147793.66</b>	<b>147793.66</b>	<b>229780.84</b>
19	उत्तराखंड	7781.43	10699.47	9989.92	7781.43	10699.47	13536.28
20	पश्चिम बंगाल	54852.58	54852.59	77972.26	54852.58	65716.38	103801.89

21	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	900.00	449.90	425.37	600.00	600.00	559.21
22	दमन और दीव	600.25	300.14	252.99	450.00	337.50	229.52
23	दादरा एवं नगर हवेली						
24	लक्षद्वीप	238.95	119.43	115.41	300.00	150.00	113.07
25	लद्दाख	1319.20	659.60	342.51	1000.00	1000.00	718.05
25	पुदुचेरी	1700.00	1275.00	1345.52	1700.00	1700.00	1466.58
26	अरुणाचल प्रदेश	13225.95	9919.47	9100.09	12775.50	12775.50	13020.87
27	असम	38136.28	38136.28	45630.45	39843.04	39843.04	46863.45
28	मणिपुर	12538.30	3134.58	2729.55	10523.46	5261.73	6270.38
29	मेघालय	16928.17	16928.19	15424.75	19976.24	27467.33	12134.55
30	मिजोरम	15671.94	3917.99	5464.02	16396.02	6386.94	7245.75
31	नागालैंड	17793.90	8896.95	8209.63	16428.04	12321.03	9459.50
32	सिक्किम	6648.53	1662.13	2032.03	7331.71	1832.93	1592.01
33	त्रिपुरा	24162.21	12081.11	17331.15	30534.78	30534.78	31656.05
	<b>कुल योग</b>	<b>893565.83</b>	<b>785821.31</b>	<b>1230244.59</b>	<b>901559.79</b>	<b>907499.16</b>	<b>1335943.98</b>

नोट: कुल उपलब्ध निधि की तुलना में व्यय जिसमें राज्य का अंश, प्रारंभिक शेष और विविध प्राप्तियां भी शामिल हैं।

**v. दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई)**

(लाख रुपए में)

वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत राज्यवार और वर्षवार निधि जारी करने की स्थिति											
क्र.सं.	राज्य	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	798.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	0.00	7681.00	0.00	5874.00	7247.00	7910.93	0.00	0.00	0.00	4350.86
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	61.00	1056.46	113.50	0.00	1333.50	0.00	0.00	53.60
4	असम	1317.00	185.00	9831.83	8669.00	5128.60	10433.00	1328.40	313.78	0.00	2210.23
5	बिहार	0.00	5596.00	3158.00	9660.00	18294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	छत्तीसगढ़	0.00	145.00	8365.07	0.00	0.00	13913.07	60.00	91.47	0.00	20.01
7	गोवा	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	गुजरात	0.00	154.00	0.00	1766.10	0.00	8205.60	0.00	0.00	0.00	0.00
9	हरियाणा	0.00	598.60	0.00	1643.70	5662.00	308.46	1318.00	0.00	0.00	0.00
10	हिमाचल प्रदेश	0.00	326.00	3606.44	0.00	183.60	2583.90	69.30	74.23	2665.68	2631.74
11	जम्मू और कश्मीर	0.00	150.00	4500.00	5774.00	12933.60	23376.59	0.00	117.47	58.82	0.00
12	झारखंड	0.00	153.00	6063.96	7186.40	1160.00	0.00	4171.27	0.00	1682.50	2786.45
13	कर्नाटक	0.00	7485.55	18.00	8187.00	0.00	0.00	0.00	96.72	44.81	22.15
14	केरल	4534.00	139.00	4597.71	3347.29	9842.50	0.00	16381.56	0.00	0.00	0.00
15	मध्य प्रदेश	0.00	188.00	6197.87	0.00	3799.75	11558.00	319.33	0.00	2096.97	2168.51
16	महाराष्ट्र	0.00	9553.00	26.00	0.00	5327.00	21925.00	0.00	0.00	0.00	25.73
17	मणिपुर	0.00	0.00	461.00	0.00	2240.00	4468.79	0.00	0.00	0.00	17.15
18	मेघालय	0.00	0.00	461.00	574.54	1884.00	2161.35	143.90	70.30	42.56	1247.36
19	मिजोरम	0.00	0.00	460.50	0.00	1431.59	237.00	552.50	0.00	0.00	0.00
20	नागालैंड	0.00	0.00	461.00	0.00	2238.00	285.35	3727.80	0.00	0.00	12.86
21	ओडिशा	8035.00	4154.00	1607.00	14028.00	13889.60	16616.31	4135.00	0.00	175.77	3630.14

22	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922.20	14.00	47.49	35.76	439.74
23	पंजाब	0.00	2830.00	0.00	0.00	1082.00	8073.50	0.00	0.00	1647.89	929.75
24	राजस्थान	0.00	165.00	0.00	5785.00	3282.00	0.00	9714.81	0.00	0.00	0.00
25	सिक्किम	0.00	0.00	460.50	0.00	60.50	1566.90	43.35	0.00	0.00	673.93
26	तमिलनाडु	0.00	4361.23	2412.70	0.00	5291.00	7698.00	5079.00	0.00	50.86	1876.32
27	तेलंगाना	0.00	4367.00	2126.62	3875.58	0.00	21597.00	108.00	0.00	0.00	0.00
28	त्रिपुरा	0.00	131.00	3716.94	0.00	3785.60	0.00	772.94	58.49	37.38	17.14
<b>29</b>	<b>उत्तर प्रदेश</b>	<b>16590.00</b>	<b>222.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7115.94</b>	<b>765.00</b>	<b>48834.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30	उत्तराखंड	0.00	0.00	1700.95	0.00	2621.00	8712.40	5668.14	0.00	43.86	41.79
31	पश्चिम बंगाल	0.00	146.00	7917.52	0.00	5869.00	11248.39	125.95	0.00	0.00	16.44
	<b>कुल</b>	<b>30476.00</b>	<b>48730.38</b>	<b>68271.59</b>	<b>77427.07</b>	<b>120481.78</b>	<b>184569.73</b>	<b>104699.24</b>	<b>869.95</b>	<b>8582.86</b>	<b>23171.90</b>

vi . ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)

(लाख रुपए में)

वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक आरएसईटीआई के अंतर्गत राज्यवार और वर्षवार निधि जारी करने की स्थिति											
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.21	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	65.03	125.78	165.00	0.00	447.95	128.18	391.83	0.00	1566.05	1566.05
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	0.00	231.00	193.60	96.39	357.76	75.80	64.76	0.00	637.36	892.96
5	बिहार	0.00	407.00	0.00	318.05	317.41	401.30	102.58	644.10	0.00	1500.00
6	छत्तीसगढ़	160.71	111.02	165.00	172.29	467.02	0.00	147.22	0.00	1450.81	0.00
7	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.24	0.00	0.00	0.00
8	गुजरात	116.07	0.00	231.00	255.42	498.16	327.85	322.72	0.00	2176.75	862.73
9	हरियाणा	0.00	89.25	0.00	0.00	288.75	241.97	0.00	0.00	450.72	352.31
10	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	106.82	103.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	जम्मू और कश्मीर	89.00	194.46	0.00	0.00	0.00	0.00	402.69	0.00	0.00	0.00
12	झारखंड	0.00	275.00	275.00	0.00	316.12	180.33	403.75	430.07	1139.65	0.00
13	कर्नाटक	142.86	0.00	160.04	508.77	433.66	263.19	723.46	0.00	2017.36	2265.24
14	केरल	62.50	0.00	0.00	0.00	152.57	216.27	162.48	0.00	0.00	1214.90
15	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	मध्य प्रदेश	0.00	274.85	0.00	0.00	0.00	1277.06	600.40	3542.63	0.00	1500.00
17	महाराष्ट्र	0.00	274.19	219.41	378.97	313.88	237.85	1074.94	0.00	2647.82	2127.13
18	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.09	8.21	0.00	0.00	98.75
19	मेघालय	0.00	11.00	0.00	61.34	26.66	21.35	9.69	0.00	171.24	107.57
20	मिजोरम	4.47	0.00	0.00	15.17	0.00	0.00	19.81	0.00	0.00	86.49
21	नागालैंड	8.93	0.00	0.00	0.00	9.49	8.13	6.70	0.00	0.00	63.02
22	ओडिशा	133.93	221.38	182.21	0.00	1081.18	235.65	581.34	588.07	1133.50	1250.76
23	पुदुचेरी	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00

24	पंजाब	84.82	196.38	0.00	164.59	169.62	64.28	193.10	305.05	966.27	361.67
25	राजस्थान	0.00	341.00	0.00	279.00	278.44	368.80	436.86	0.00	1322.91	1218.42
26	सिक्किम	0.00	1.88	0.00	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	तमिलनाडु	0.00	317.13	0.00	0.00	309.31	552.56	528.35	0.00	1518.84	2735.86
28	तेलंगाना	46.47	0.00	220.00	0.00	134.74	134.90	795.20	0.00	1147.63	0.00
29	त्रिपुरा	0.00	0.00	84.33	0.00	7.55	22.91	67.31	0.00	106.40	101.21
<b>30</b>	<b>उत्तर प्रदेश</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156.55</b>	<b>836.72</b>	<b>2852.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31	उत्तराखंड	0.00	0.00	182.34	0.00	73.23	0.00	298.34	0.00	248.65	0.00
32	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	201.47	114.55	113.20	113.29	0.00	0.00	1000.00
	<b>कुल</b>	<b>919.24</b>	<b>3071.32</b>	<b>3077.93</b>	<b>2558.28</b>	<b>5908.59</b>	<b>5069.16</b>	<b>8336.99</b>	<b>8385.06</b>	<b>18701.96</b>	<b>19305.07</b>

vii. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पिछले दस वर्षों के दौरान एनएसएपी की योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत/जारी/उपयोग की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा									
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	आंध्र प्रदेश	33847.5 5	24912.0 8	46226.1 9	30664.4 4	30664.4 4	31777.2 0	30936.3 7	23349.6 0	31733.8 9	40740.8 0
2	बिहार	99293.8 2	149965. 37	78156.7 4	106376. 58	114627. 51	122968. 09	124783. 96	127828. 22	134126. 33	147310. 60
3	छत्तीसगढ़	23410.3 2	21502.7 4	30369.2 5	24252.9 1	27281.6 0	28985.5 9	15790.6 9	27767.0 2	29961.1 8	27754.2 2
4	गोवा	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	गुजरात	11583.3	11032.3 4	18622.9 1	14661.1 7	17310.2 7	21079.6 8	27356.0 8	18757.1 3	24201.3 8	20710.8 9
6	हरियाणा	5847	6329.55	13141.6 5	10493.1 0	10113.7 9	12273.3 6	4617.14	0.00	25019.9 9	0.00
7	हिमाचल प्रदेश	2492.27	2858.49	4161.19	6433.40	4464.00	4570.82	4737.73	1230.18	3584.92	9018.57
8	जम्मू और कश्मीर	3453.06	3435.46 264	4568.62	4666.53	4764.23	2381.57	2457.78	3809.72	2112.65	8000.55
9	झारखंड	21899.1 3	38883.8 8	34438.7	35305.3 1	35352.5 8	27161.2 0	28902.0 3	47174.1 1	40920.9 1	27658.8 9
10	कर्नाटक	40012.5	38233.5 5	65061.4 3	51897.9 4	52168.8 8	52046.5 6	52523.4 4	49417.0 7	44657.6 5	45052.4 0
11	केरल	10489.8 9	15205.1 9	11548.9 1	21751.2 1	34197.8 6	11283.0 3	28859.2 8	0.00	0.00	60213.9 2
12	मध्य प्रदेश	55840.3 8	83699.4 4	77286.2	75424.0 6	75963.7 0	57554.5 1	70662.2 5	60060.6 9	101039. 78	82790.7 5
13	महाराष्ट्र	37053.6 7	29266.5 7	14926.8 7	41998.9 2	36611.9 2	33529.9 8	34099.8 9	29587.9 7	17114.4 3	0.00
14	ओडिशा	53471.2 2	74634.8 4	66059.4 6	68156.3 0	65841.9 7	66122.2 2	62169.7 5	65363.2 1	68058.4 4	68547.3 6
15	पंजाब	5054.5	5308.96	3062.85	0.00	3236.86	3286.43	4738.27	1113.73	0.00	1541.22
16	राजस्थान	23456.5 5	23996.4 4	17594.6 3	41765.7 7	30524.7 0	31141.1 4	32929.0 6	9377.69	62175.5 2	30520.4 4

17	तमिलनाडु	43889.54	73018.07	48672.96	63219.31	63610.69	57808.97	32721.28	84192.43	57878.86	67595.26
18	तेलंगाना	13024.02	17468.16	31411.93	21915.14	20309.59	10548.29	32368.04	10751.78	21644.80	16666.37
19	उत्तर प्रदेश	109269.59	112759.81	174069.69	151906.43	105473.96	154363.31	154573.51	161741.71	183517.67	139301.47
20	उत्तराखण्ड	6584.44	7126	8099.25	6594.16	8546.54	5055.82	11353.99	5108.75	11891.96	8913.47
21	पश्चिम बंगाल	71603.7	70709.83	100129.34	57939.11	59551.87	85595.60	65171.15	46119.35	62255.91	100318.32
पूर्वोत्तर राज्य											
22	अरुणाचल प्रदेश	825.84	205.02	546.97	0.00	1238.08	0.00	0.00	0.00	0.00	904.59
23	असम	20150.36	32736.6	17333.97	14273.72	23730.73	29088.34	30341.53	29622.26	30954.42	28980.90
24	मणिपुर	1778.79	882.78	929.82	2575.14	987.89	1914.50	3163.38	523.90	2728.82	1636.40
29	मेघालय	1416.96	2409.99	1849.99	1669.50	1781.64	1386.62	2069.72	1113.90	2112.18	2168.84
26	मिजोरम	718.68	1264.12	1106.37	1010.11	909.22	1053.19	1062.20	534.94	1066.90	1062.02
27	नागालैंड	1377.93	1445.7	2057.72	1107.60	2505.43	2092.69	2131.22	1594.05	2255.86	1714.61
28	सिक्किम	504.36	269.23	533.64	788.66	261.25	581.25	931.77	0.00	814.36	0.00
29	त्रिपुरा	5177.89	5445.95	5016.75	4717.26	2424.55	6778.33	1388.42	2819.44	3002.62	4400.21
	उप योग	703527.26	855006.16	876984	861563.77	834455.75	862428.29	862839.92	808958.85	42935.16	943523.07
संघ राज्य क्षेत्र											
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.90	0.00	0.00	0.00
31	चंडीगढ़	0	201.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	दादरा और नगर हवेली और दमन एवं द्वीप	0	5429.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	4093.92	0.00	5458.50	5458.50	5458.50	5271.28	2939.36	5664.20	0.00	0.00
34	लद्दाख	-	-	-	-	-	-	114.36	0.00	368.48	0.00
35	लक्षद्वीप	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	पुदुचेरी	749.01	893.73	893.73	893.73	917.03	1273.35	1146.84	599.42	0.00	0.00
	उप योग	4842.93	6525.59	6352.23	6352.23	6375.53	6544.63	4320.46	6263.62	368.48	0.00
	अन्य	292	108.33	1777.37	1639.75	1014.98	266.84	1500.00	-	-	5587.43
	कुल योग	708662.19	861640.08	885113.60	869555.75	841846.26	869239.76	868660.38	815222.47	965200.00	949110.50



viii. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी)

(करोड़ रुपए में)

डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 के अंतर्गत 2014-15 से 2020-21 तक जारी निधियों का राज्यवार विवरण								
क्र. सं.	राज्य	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
		जारी की गई निधियां 31.03.19 तक	जारी की गई निधियां	जारी की गई निधियां				
1	आंध्र प्रदेश	163.28	86.73	120.96	123.35	139.15	144.39	43.890
2	अरुणाचल प्रदेश	-	18.00	23.12	9.62	19.17	55.71	5.800
3	असम	6.99	45.00	0.00	65.09	66.55	49.03	169.260
4	बिहार	21.47	5.00	28.26	19.21	46.77	88.37	-
5	छत्तीसगढ़	10.00	20.00	34.96	33.45	57.03	47.07	-
6	गोवा#	-	-	-	-	-	-	-
7	गुजरात	72.34	100.00	115.04	87.51	151.84	77.93	-
8	हरियाणा	26.97	6.91	12.82	10.94	10.00	7.13	13.68
9	हिमाचल प्रदेश	-	20.00	35.40	26.83	24.04	66.87	-
10	जम्मू और कश्मीर	51.43	0.00	25.59	43.66	71.87	0.00	91.210
11	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.148
12	झारखंड	0.00	20.00	17.68		28.83	36.77	41.915
13	कर्नाटक	125.43	125.00	145.72	175.69	101.07	21.76	6.162
14	केरल	15.16	20.00	16.62	17.83	13.06	48.77	-
15	मध्य प्रदेश	303.98	150.00	129.44	134.84	162.41	221.278	84.900
16	महाराष्ट्र	197.91	250.00	186.95	279.21	163.33	103.00	-
17	मणिपुर	11.10	9.00	11.29	13.84	14.14	1.46	-
18	मेघालय	37.16	18.00	11.56	8.95	6.69	1.19	-
19	मिजोरम	75.81	8.87	16.06	22.35	23.14	22.27	-
20	नागालैंड	95.09	27.00	60.84	32.08	38.51	137.55	3.531
21	ओडिशा	248.79	67.50	91.99	94.48	102.17	83.11	1.750
22	पंजाब	-	7.95	0.00	7.96	0	-	-
23	राजस्थान	403.08	200.00	199.35	243.59	299.00	119.43	449.896
24	सिक्किम	-	6.30	0.00	1.40	0	2	-
25	तमिलनाडु	124.02	75.00	62.36	82.75	90.59	-	-
26	तेलंगाना	124.58	70.00	-	51.14	81.93	33.50	60.340
27	त्रिपुरा	19.04	20.89	27.12	16.66	15.89	10.75	11.740
<b>28</b>	<b>उत्तर प्रदेश</b>	<b>75.39</b>	<b>75.00</b>	<b>58.38</b>	<b>63.93</b>	<b>0.00</b>	-	-
29	उत्तराखंड	49.77	25.68	16.15	9.97	6.98	-	-
30	पश्चिम बंगाल	25.85	10.00	24.06	15.48	46.39	92.87	-
	<b>कुल योग</b>	<b>2284.63</b>	<b>1487.83</b>	<b>1471.72</b>	<b>1691.81</b>	<b>1780.55</b>	<b>1472.33</b>	<b>990.221</b>

(करोड़ रुपए में)

डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत 2021-22 से 2023-24 तक जारी निधियां का राज्यवार ब्यौरा						
क्रम सं.	राज्य	2021-22		2022-23		2023-24
		केंद्रीय अंश	जारी की गई निधियां	केंद्रीय अंश	जारी की गई निधियां	जारी की गई निधियां
1	आंध्र प्रदेश	333.188	45.7365	-	42.110	23.120
2	अरुणाचल प्रदेश	367.706	22.9816	12.600	70.080	119.000
3	असम	263.703	16.4814	15.840	54.020	108.000
4	बिहार	256.222	112.9426	8.361	0.000	0.5225
5	छत्तीसगढ़	368.198	23.0123	-	40.285	135.00
6	गोवा	33.575	2.0984	-	0.000	4.475
7	गुजरात	412.684	25.7927	-	51.320	141.000
8	हरियाणा	48.356	3.0222	-	3.020	6.180
9	हिमाचल प्रदेश	136.080	8.5050	-	12.860	13.060
10	झारखंड	236.118	27.2774	-	23.180	82,000
11	कर्नाटक	385.357	119.8348	22.877	96.960	131.9998
12	केरल	43.954	13.2471	-	0.000	6.590
13	मध्य प्रदेश	652.964	75.0302	19.800	257.620	78.750
14	महाराष्ट्र	801.340	50.0836	-	108.550	187.500
15	मणिपुर	147.899	9.2436	-	0.000	14.205
16	मेघालय	137.920	60.7999	20.160	0.000	23.828
17	मिजोरम	112.392	7.0245	12.600	21.420	31.820
18	नागालैंड	50.400	13.6250	30.240	12.880	25.310
19	ओडिशा	434.411	123.1806	21.566	45.385	145.9999
20	पंजाब	48.497	3.0310	-	5.300	3.230
21	राजस्थान	1089.438	282.5638	25.875	0.000	74.330
22	सिक्किम	50.400	3.1500	-	5.510	13.440
23	तमिलनाडु	172.038	10.7523	8.400	42.840	80.540
24	तेलंगाना	214.594	27.6021	6.246	38.360	3.680
25	त्रिपुरा	50.400	20.3000	30.240	0.000	16.5396
<b>26</b>	<b>उत्तर प्रदेश</b>	<b>348.429</b>	<b>21.7767</b>	<b>-</b>	<b>0.000</b>	<b>86.2000</b>
27	उत्तराखंड	176.982	11.0614	-	19.500	32.9900
28	पश्चिम बंगाल	210.360	13.1475	-	22.740	26.9400
29	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर	189.92	11.8699	4.662	9.530	36.8113
30	संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख	-	-	60.866	3.800	8.3700
	<b>कुल योग</b>	<b>7773.520</b>	<b>1165.174</b>	<b>300.33259</b>	<b>987.27</b>	<b>1661.4301</b>

\*\*\*\*\*

